



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 1, 2003/आश्विन 9, 1925

No. 479]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2003/ASVINA 9, 1925

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2003

सं. 780(अ).—केन्द्रीय सरकार, का यह समाधान हो गया है कि फेनफोरमिन युक्त औषधि विनिर्भित के उपयोग से मानव के लिए जोखिम अन्तर्ग्रस्त होने की संभावना है और अब इसे आगे विकसित रूप से उचित नहीं समझा जाता है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि फेनफोरमिन युक्त औषधि विनिर्भित से बेहतर अनुकूल्य अब उपलब्ध हैं;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि पूर्वोक्त औषधि विनिर्भित का विनिर्माण, विक्रय या वितरण प्रतिबिद्ध करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव उपयोग के लिए फेनफोरमिन का विनिर्माण, विक्रय या वितरण प्रतिबिद्ध करती है।

यह अधिसूचना, तारीख 1 अक्टूबर, 2003 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एक्स-11014/2/2003-डी एम एल एंड पी एफ ए]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2003

G.S.R. 780(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of drug formulations containing Phenformin is likely to involve risk to human beings and is no longer considered therapeutically justified;

And whereas the Central Government is satisfied that better alternatives to the drug formulations containing Phenformin are now available;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient in public interest to prohibit the manufacture, sale or distribution of the drug formulations aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby prohibits the manufacture, sale or distribution of Phenformin for human use.

This notification shall take effect from the 1st day of October, 2003.

[F. No. X-11014/2/2003-DMS & PFA]

DEEPAK GUPTA, Jr. Secy.